JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायतीराज व बलवंत राय मेहता समिति

शोध निर्देशिका
डॉ. साधना भंडारी
लोक प्रशासन, डुंगर
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर

शोध छात्रा
अलका पुराहित
डुंगर स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बीकानेर

सारांश

हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता जी की ही देन है। स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में प. जवाहर लाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कामयाबी व नाकामयाबी के मूल्यांकन के उद्देश्य से बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलने में कामयाब रही है। इसी परिपेक्ष्य में यह शोध पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द :– पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, बलंवत राय मेहता।

प्रस्तावना :– बलवंत राय समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण पर जोर दिया इसी अवधारणा को अपनाते हुए उन्होने ग्राम स्तर पर ग्रामसभा पचांयत स्तर पर समिति जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश की 1959 में बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट को लागू किया गया पं. जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टुबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रि–स्तरीय प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य एवं महत्व :– पंचायती व्यवस्था के प्रारभिक पडाव का अध्ययन करना स्थानीय स्वशासन में त्रि–स्तरीय प्रणाली की आवश्यकता के कारणों का पता लगाना व पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता समिति के योगदान का विस्तार से अध्ययन करना बलवंत राय मेहता की सिफारिश में यह कहा गया कि ग्राम स्तर में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो जबकि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये बलवंत राय मेहता का जन्म 19 फरवरी 1960 में गुजरात के भाव नगर में हुआ बलवंत राय मेहता जी गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे उन्होने सन्

1921 में भाव नगर प्रजा मंडल की स्थापना की बलवंत राय मेहता शुरूआत से ही राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे उनके इस प्रयास ही आज पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हो सकी आज पंचायतो में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद गाँवों का विकास हो पाया है। त्रि–स्तरीय प्रणाली को पंचायती राज में शामिल करके प्रत्येक स्तर को अपना कार्य निपुणता से करने का मौका मिला है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश से ही चुनाव की अवधि निश्चित हुई पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायतो को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने की सिफारिश की गई।

1. तथ्यो का संकलनः– प्रस्तुत शोध अध्ययन को वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से तथ्य सकलंन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतो से सूचनाओ व तथ्यों का संकलन किया।
2. प्राथमिक स्त्रोतः– प्राथमिक स्त्रोत से सूचनाओ प्राप्त करने के लिए ग्रामसभा, पंचायत, नगर निगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया इन सूचनाओ को एकत्र करने के लिए शोधकर्ता द्वारा सरपंच निगम आयुक्त व विषय विशेषज्ञो से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया गया।
3. द्वितीयक स्त्रोतः– शोध अध्ययन के सैद्वान्तिक व ऐतिहासिक पक्ष का विवेचन करने के लिए द्वितीयक स्त्रोतो से सूचनाएँ एकत्रित की गई इसी क्रम में केन्द्र व राज्य द्वारा जारी किये गये समाचार–पत्रों, व विषय से सम्बन्धित पुस्तको में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का अध्ययन किया गया।

निष्कर्ष :– हमारे देश में 1959 में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति, (1957) अशोक मेहता (1977) सिंघवी समिति (1986) ने अपने–अपने प्रतिवेदन दिये आधुनिक युग में स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए चुनाव में पारदर्शिता, शिक्षा, संसाधनों की उपलब्धता, चुनावों में महिलाओं की भागीदारी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही स्थानीय स्वशासन का विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. गांधी एम.के (1962) ग्राम स्वराज नवजीवन पब्लिशिग हाउस, अहमदाबाद।
2. डे.एस.के (1961) पंचायती राज ए. सिन्थेसिस बम्बई पब्लिशिग हाउस बम्बई।
3. प्रसाद राकेश 2011 बुमन एण्ड ग्रास रूट पालिटिक्स ब्योरीकल इश्यू एण्ड सोशियल कन्सेप्ट आफ केरला वूमन, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली।